Result Mitra

रिजल्ट मित्र स्पेशल

Hand Written

करंट अफेयर्स नोट्स

30

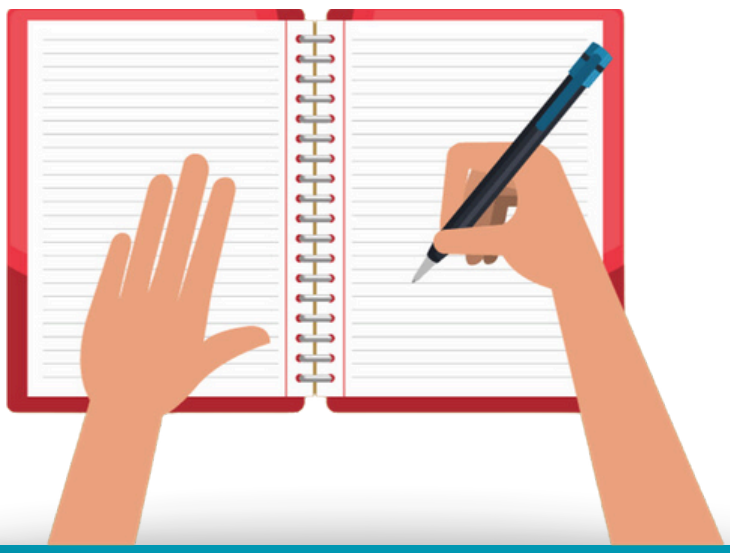

30/Dec/24

सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 18 वाँ संस्करण

भारतीय सेना का 300 से अधिक सैनिकों का दल नेपाल के लिए रवाना हो चुका है

ज्ञातव्य है कि भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 29 दिसंबर से 13 जनवरी तक सलझंडी में आयोजित होगा।

यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, टीमवर्क में सुधार करने और संयुक्त ऑपरेशन के लिए उनके संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है

- यह भारत और नेपाल की मजबूत मित्रता विश्वास और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है
- यह अभ्यास साझा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का भी उद्देश्य रखता है

उद्देश्य

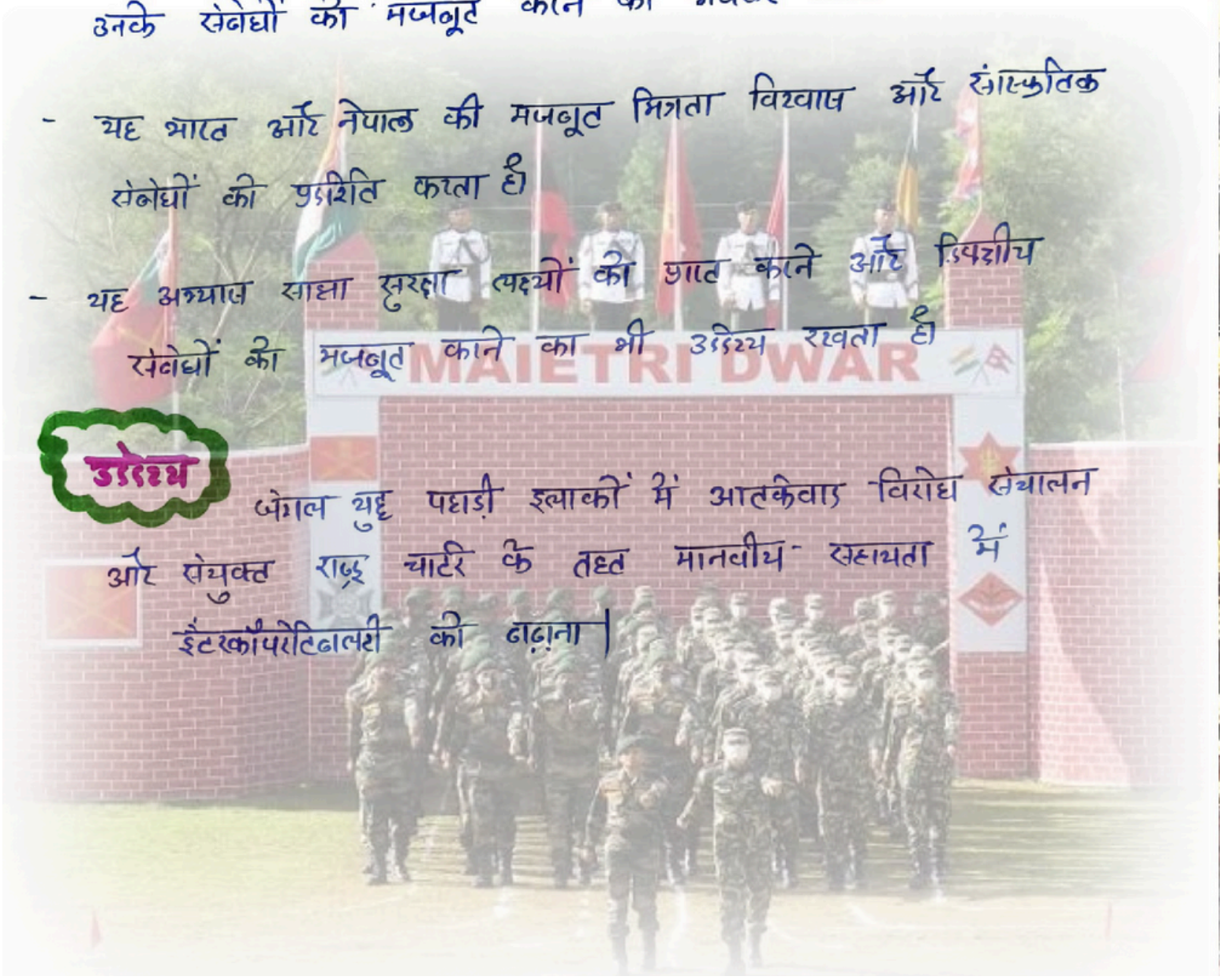

जंगल युद्ध पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी संचालन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना।

प्रमुख गतिविधियां

- संयुक्त युद्धाभ्यास (Joint Military Training)
- जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन
- मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन की रणनीतियाँ
- चिकित्सा सहायता और राहत कार्यों में सहयोग
- सैनिकों के बीच सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां

* सूर्य किरण युद्धाभ्यास की शुरुआत २०११ में हुई थी।

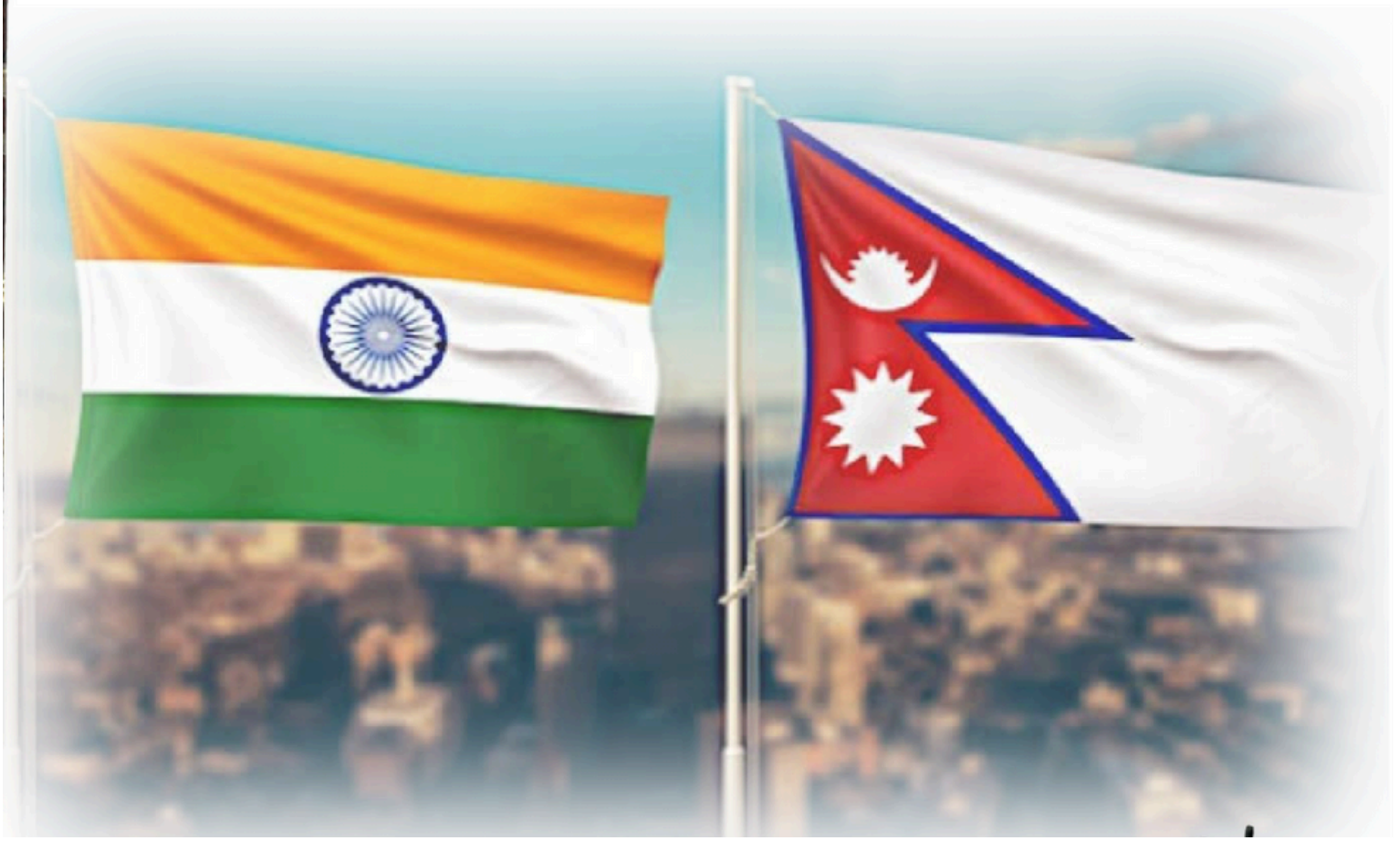

सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18 वी संस्करण

- अभ्यास का उद्देश्य: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में दोनों सेनाओं की अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही, परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण, और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- पृष्ठभूमि: 'सूर्य किरण' अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो भारत और नेपाल में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य कर्मियों के बीच सहयोग, समन्वय, और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
- हाल की यात्राएं: यह संस्करण भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नेपाल यात्रा और नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल की भारत यात्रा के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती आई है।

यह अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मित्रता, विश्वास, और साझा सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत बंधन को दर्शाता है, साथ ही व्यापक रक्षा सहयोग के प्रति दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता को भी प्रकट करता है।

आगरा हम्माम चर्चा में

आगरा हम्माम हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि यह भारतीय इतिहास और स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुगल काल की समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाता है इसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित और बहाल किया गया है

आगरा हम्माम का परिचय

हम्माम का शाब्दिक अर्थ है स्नानागार यह एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग मुगलकालीन समाज में स्नान और विश्राम के लिए किया जाता था।

आगरा हम्माम मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे विशेष रूप से शाही परिवार और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपयोग के लिए बनाया गया था।

- आगरा हम्माम की स्थापना अलीवर्दी खाँ ने की थी।
- मुगल काल में दूसरे देशों या राज्यों से आने वाले राजा महाराजा इस हमाम में स्नान करने के बाद ही बादशाह से मिलने जाते थे।
- इस हम्माम में कई कमरे बने हुए थे।
- जहांगीर के समय 1620 में अलीवर्दी खाँ ने इसका निर्माण करवाया था।

आगरा हम्माम चर्चा में

आगरा के छीपीटोला क्षेत्र में स्थित शाही हम्माम, जो 17वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण मुगलकालीन धरोहर है, हाल ही में इसके संभावित विध्वंस के कारण चर्चा में है।

इतिहास और महत्व:

- निर्माण: इस हम्माम का निर्माण 1620 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान अलीवर्दी खान द्वारा किया गया था। यह हम्माम एक बड़े सराय परिसर का हिस्सा था, जो उस समय यात्रियों और आगंतुकों के लिए स्नान और विश्राम की सुविधा प्रदान करता था।

- वास्तुकला: तुर्की शैली में निर्मित यह हम्माम न केवल स्नान की सुविधा के रूप में कार्य करता था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था।

राज्यपाल का पद व संबंधित चिंताऐं

राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है यह राज्य की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है और इसे केन्द्र तथा राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में माना जाता है

संवैधानिक प्रावधान

- अनु. 153-162
- नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा
- कार्यकाल - 5 वर्ष
- पात्रता - (Eligibility)
  - भारत का नागरिक हो
  - उम्र-35 वर्ष
  - राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है

कार्य और शक्तियां

- (कार्यकारी शक्तियां)
  - मुख्यमंत्री और मंत्री की नियुक्ति
  - विधायिका के सत्र को बुलाना और भंग करना।
  - राज्य के प्रशासन की देखरेख करना।

राज्यपाल की जरूरत क्यों पड़ी?

विधायी शक्तियां

- विधेयकों को स्वीकृति देना
- अध्यादेश जारी करना। (अनु. 213)

न्यायिक शक्तियां

- माफी या दंड की क्षमा करना (अनु. 161)
- अनु. 371 के तहत राज्यों में विशेष प्रशासनिक शक्तियां

राज्यपाल पद से संबंधित चिंताएं

(1) राजनीतिक पक्षपात का आरोप (Allegation of Political Bias)

(2) राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया (Appointment Process)

(3) मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव (Conflict Between CM and Governor)

(4) अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग (Misuse of Ordinance Power)

(5) विधेयकों को आरक्षित करना (Reserving Bills for the President)

(6) कार्यकाल और स्थानांतरण (Tenure and Transfer)

(7) संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन (Violation of Constitutional Morality)

संबंधित सुधारों के लिए सुझाव

(1) राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार

(2) राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करना

(3) कार्यकाल की निश्चितता

(4) मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संवाद बढ़ाना।

(5) राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा

(6) संवैधानिक शिक्षाएँ

(7) आदर्श संहिता लागू होना।

राज्यपाल का पद व संबंधित चिंताऐं

राज्यपाल के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशें
सरकारिया आयोग का गठन 1983 में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यपाल के पद और भूमिका को लेकर विस्तृत सिफारिशें दी गईं।

राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका पर सिफारिशें:

1. राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया:
    - राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद होनी चाहिए।
    - यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्यपाल पर केंद्र सरकार का राजनीतिक दबाव न हो।
    - राज्यपाल को ऐसी शख्सियत होना चाहिए, जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो।
2. राज्यपाल के चयन के लिए योग्यताएँ:
    - राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, जहाँ वह पदस्थ है।
    - उन्हें राजनीति से दूर और सार्वजनिक जीवन में सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए।
    - वे किसी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य नहीं होने चाहिए।
3. कार्यकाल की स्थिरता:
    - राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का तय होना चाहिए।
    - केवल अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें हटाया जाना चाहिए।
    - राज्यपाल को हटाने से पहले केंद्र को उनकी भूमिका और कार्यप्रणाली का उचित मूल्यांकन करना चाहिए।
4. राज्यपाल की निष्पक्षता:
    - राज्यपाल को किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेना चाहिए।
    - उनके सभी निर्णय संविधान और कानून के अनुसार होने चाहिए।
    - राज्यपाल को राज्य में एक तटस्थ संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए।

मसाली : भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव

* मसाली (masali) भारत के सीमावर्ती इलाकों में स्थित एक छोटा सा गाँव है जिसे हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गाँव घोषित किया गया है।
* मसाली गाँव गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है।
* यह भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक सीमावर्ती गाँव है।
* इस परियोजना का उद्देश्य है सीमावर्ती गाँवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
* सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
* इस परियोजना को गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार के सहयोग से लागू किया गया है।

मसाली बना सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाव

* **मसाली में सौर ऊर्जा प्रणाली की विशेषताएं**
  - सौलर पैनल इंस्टॉलेशन
  - माइक्रो ग्रिड प्रणाली
  - बैटरी स्टोरेज
  - सौर स्ट्रीट लाइटस
  - कृषि और सिंचाई में सौर ऊर्जा

परियोजना के लाभ

(1) ऊर्जा आत्मनिर्भरता

(2) पर्यावरणीय लाभ

(3) आर्थिक लाभ

(4) जीवन स्तर में सुधार

चुनौतियां और सावधान

(1) तकनीकि रखरखाव

(2) प्रारंभिक लागत

(3) सुरक्षा

(1) तकनीकि विशेषज्ञों की नियुक्ति और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण

(2) सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएं

(3) सौर ऊर्जा प्रणाली की निगरानी और देखरेख के लिए समिति का गठन